प्राथमिकता / तत्काल निर्गत / फैक्स / ई–मेल / क्यू–मेल

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

संख्याःडीजी–आठ–140(29)2018

दिनांकः लखनऊःजुलाई 07, 2018

सेवा में,

1– समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस पुलिस महानिरीक्षक / उप महानिरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

3– समस्त वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी,जनपद उत्तर प्रदेश।

विषयः **चिकित्सकों की सुरक्षा के सम्बन्ध में।**

कृपया उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को सम्बोधित **डा0 जे0डी0 रावत, सचिव, इण्डियन मेडिकल ऐसासिएशन, लखनऊ ब्रान्च, आई0एम0ए0 भवन, 1, रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ** के पत्र दिनांकः **04.07.2018** व उसके साथ संलग्न **उ0प्र0 सरकार द्वारा चिकित्सों की सुरक्षा हेतु ''उ0प्र0 मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2013''** (छायाप्रति मय अनुलग्नक संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विगत में कुछ असामाजिक तत्वों एवं रोगियों के परिजनों द्वारा चिकित्सकों के साथ मारपीट, क्लीनिक, नर्सिंग होम तथा अस्पतालों को क्षति पहुँचाने आदि घटनायें घटित होने सम्बन्धी तथ्यों अंकित करते हुये लखनऊ तथा उत्तर प्रदेश के समस्त चिकित्सकों को सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2– निदेशानुसार अनुरोध है कि कृपया **डा0 जे0डी0 रावत, सचिव, इण्डियन मेडिकल ऐसासिएशन, लखनऊ ब्रान्च, आई0एम0ए0 भवन, 1, रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ** के उक्त पत्र में की गई अपेक्षा एवं **उ0प्र0 शासन स्तर से निर्गत ''उ0प्र0 मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2013'' में उल्लिखित तथ्यों / निर्देशों का शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने / कराते हुई प्रदेश के समस्त जनपदों के चिकित्सकों एवं अस्पताल, क्लीनिक एवं नर्सिंग होम तथा उनके स्टाफ की नियमानुसार समुचित सुरक्षा व्यवस्था कराने का कष्ट करें। इसके साथ ही विगत में चिकित्सकों तथा उनके क्लीनिक एवं नर्सिंग होम एवं उनके स्टाफ से साथ एवं सरकारी अस्पतालों में घटित घटनाओं आदि के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर समीक्षा करके सभी घटनाओं का त्वरित अनावरण कराया जाय एवं दोषियों के विरूद्ध कठोरतम वैधानिक कार्यवाही की जाये, जिससे प्रदेश के चिकित्सकों में सुरक्षा की भावना जाग्रत हो सके एवं उनके बीच पुलिस की मित्र छवि को बल मिल सके।**

संलग्नकः यथोपरि

(प्रवीण कुमार)
पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानून–व्यवस्था
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः **डा0 सूर्यकान्त, अध्यक्ष, आई0एम0ए0, लखनऊ को उक्त सम्बन्ध में कृपया सूचनार्थ प्रेषित।**

2– **डा0 जे0डी0 रावत, सचिव, इण्डियन मेडिकल ऐसासिएशन, लखनऊ ब्रान्च, आई0एम0ए0 भवन, 1, रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ** को उक्त सम्बन्ध में कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

फैक्स/मा0 उच्च न्यायालय प्रकरण/अतिआवश्यक

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

1-तिलक मार्ग लखनऊ।

परिपत्र संख्या-33 /2015 दिनांकःलखनऊःमई 8 ,2015

सेवा मे,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

विषयः-उ0प्र0 चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अधिनियम,2013 में प्रावधानित व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

....

आप सभी अवगत है कि प्रदेश में चिकित्सा सेवा कर्मियों के जीवन को क्षति या खतरा या चिकित्सा सेवा संस्थाओं की सम्पत्ति को हानि पहुंचाने की घटना पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा विभाग द्वारा "चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था" (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अधिनियम 2013 दिनांक 26.09.2013 को प्रख्यापित कर दिया गया है। इस अधिनियम के लागू हो जाने के पश्चात् भी प्रदेश में चिकित्सा सेवा कर्मियों के जीवन को क्षति या खतरा तथा चिकित्सा सेवा संस्थान की सम्पत्ति को हानि पहुंचाने वाले हिंसात्मक कृत्य अभी भी हो रहे हैं, जिससे प्रदेश में चिकित्सा परिचर्या व्यवसायियों में असंतोष एवं भय व्याप्त है तथा साथ ही चिकित्सा जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण सेवायें बाधित होने से रोगियों एवं जनता को असुविधा भी हो रही है।

2- इस अधिनियम की धारा 4 में चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मियों के विरूद्ध हिंसा एवं सम्पत्ति की क्षति को कारित किये जाने को संज्ञेय एवं गैरजमानती अपराध बनाया गया है। यद्यपि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लखनऊ द्वारा इस अधिनियम की धारा 3 व 4 अद्वरित कर आप सभी को दिनॉक 6-5-2015 को अपने पत्र संख्या-1222पी/छ-पु-3-2015-21पी/2015 द्वारा प्रेषित की गयी है फिर भी उपर्युक्त अधिनियम की प्रति एवं पैम्पलेट की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि आप इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करायें तथा अपने अधीनस्थ अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को इस अधिनियम/पैम्पलेट की प्रतियॉं कराकर उपलब्ध करायें और इन्हें इस अधिनियम के प्राविधानों की विस्तृत जानकारी दें, जिससे इस प्रकार के अपराध की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही हो सके ।

संलग्नक-यथोपरि ।

8.5

(अरविन्द कुमार जैन)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
2- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

NOTICE TO BE DISPLAYED IN CLINICS/ HOSPITALS

सत्यमेव जयते

IMPORTANT

Notice for Patients & their Relatives

As per the introduced The Uttar Pradesh Medicare Service Persons and Medicare Service institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Act, 2013:

Section 3

Whoever,- (a) commits an act of violence against a Medicare Service Person; or

(b) causes any damage to the property of any Medicare Service Institution;

shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to fifty thousand rupees or with both.

Section 4

An offence punishable under section 3 shall be **cognizable and non-bailable.**

Section 5

(1) In addition to the punishment provided under section 3, the court shall, when passing judgment, order that the accused person shall be liable to a penalty of twice the amount of purchase price of medical equipment damaged and loss caused to the property of the Medicare Service Institution.

(2)Where the order of compensation made under sub-section(1) is not paid, the same shall be recovered under the provisions of the U.P. Land Revenue Act, 1950 from the accused person as if it were an arrear of land revenue.

Hence, you are requested to maintain silence and decorum inside any Hospital Premises.

Issued in Public interest.

संख्याः-1222पी/छः-पु-3-2015-21पी/2015

प्रेषक ,

आलोक रंजन,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) समस्त जिला मैजिस्ट्रेट , उत्तर प्रदेश ।

(2) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह(पुलिस) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 06 मई, 2015

विषयः- उ०प्र० चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अधिनियम,2013 में प्रावधानित व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि प्रदेश में चिकित्सा सेवा कर्मियों के जीवन को क्षति या खतरा तथा चिकित्सा सेवा संस्थाओं की सम्पत्ति को हानि पहुंचाने वाले हिंसात्मक कृत्य हो रहे हैं, जिससे राज्य में चिकित्सा परिचर्या व्यवसायियों में असंतोष उत्पन्न हो रहा है और ऐसी सेवायें गम्भीर रुप से बाधित हो रही है। इस प्रकार की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से चिकित्सा विभाग द्वारा उ०प्र० चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अधिनियम-2013, दिनांक 26.09.2013 को निर्गत किया गया है, जिसकी धारा 4 में इस प्रकार के अपराधों को संज्ञेय एवं गैरजमानती माना गया है। अधिनियम में व्यवस्था होने के उपरान्त भी इस प्रकार की घटनायें हो रहीं हैं जिन्हें प्रभावी रुप से रोकना आवश्यक है।

2- अधिनियम की धारा 3 तथा 4 की व्यवस्था उद्धरित की जा रही हैः-

धारा 3- चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी के विरुद्ध हिंसा और सम्पत्ति की क्षति - कोई भी जो-

(क) किसी चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी के विरुद्ध हिंसात्मक कृत्य करें; या

(ख) चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाये, ऐसे अपराध के लिये, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रु० तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

sansandesa

धारा-4 अपराध का संज्ञान- धारा 3 के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय एवं गैरजमानती होगा।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सक्षम स्तर से चिकित्सा सेवा कर्मियों को क्षति और खतरा तथा चिकित्सा सेवा संस्थाओं की सम्पत्ति को हानि पहुंचाने की सूचना प्राप्त होते ही अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार प्रभावी कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ।
2- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ०प्र० शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०, लखनऊ।
4- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
6- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(कमल सक्सेना)
सचिव।

संख्या– 3872/सेक–2–पांच–13–7(236)/13

प्रेषक,

मधु जोशी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 21 अक्टूबर, 2013

विषयः–उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था(हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0–16 सन् 2013) के परिचालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि उ0प्र0 चिकित्सा स्वास्थ्य संवर्ग में कार्यरत चिकित्सकों, पैरामेडिकल कर्मियों एवं अन्य कर्मियों तथा चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले राजकीय चिकित्सालयों अथवा अन्य इकाईयों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए "उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0–16 सन् 2013)" विधायी विभाग के आदेश संख्या–1032/79–वि–1–13–1(क)10–2013, दिनांक 26.09.13 द्वारा प्रख्यापित कर दिया गया है।

2– "उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0–16 सन् 2013)" की हिन्दी एवं अंग्रेजी की पांच–पांच प्रतियां संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रख्यापित अध्यादेश की प्रति प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/मुख्य चिकित्साधिकारी/प्रमुख अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका व अन्य जो अधिनियम से संबंधित हों, को अपने स्तर से परिचालित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया,

(मधु जोशी)
संयुक्त सचिव।

संख्या :– 3872(1)/सेक–2–पांच–13, तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2– निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 लखनऊ।
3– प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त अधिनियम को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(डा0 जटाशंकर त्रिपाठी)
अनुसचिव।

क्रम सं०—252

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०

डब्लू०/एन०पी०—91/2011—13

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, वृहस्पतिवार, 26 सितम्बर, 2013

आश्विन 4, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1032/79-वि-1—13-1(क)10-2013

लखनऊ, 26 सितम्बर, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2013 पर दिनांक 24 सितम्बर, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2013 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अधिनियम, 2013

(उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 16 सन् 2013)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी के प्रति हिंसा और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थाओं की सम्पत्ति की क्षति के निवारण एवं उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

चूँकि राज्य में चिकित्सा सेवा कर्मियों के जीवन को क्षति और खतरा तथा चिकित्सा सेवा संस्थाओं की सम्पत्ति को हानि पहुँचाने वाले हिंसात्मक कृत्य हो रहे हैं जिससे चिकित्सा परिचर्या व्यवसायियों में असंतोष पैदा हो रहा है और परिणामतः राज्य में ऐसी सेवायें गंभीर रूप से बाधित हो रही हैं ;

और चूँकि उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसे हिंसक कृत्यों को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाते हुए उन्हें रोकना आवश्यक हो गया है;

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अधिनियम, 2013 कहा जायेगा।

(2) यह 20 मई, 2013 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

2—जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में, -

(क) "चिकित्सा परिचर्या सेवा" का तात्पर्य, शिशु जन्म से संबंधित प्रसवपूर्व और प्रसवोपरान्त देखभाल या उससे संबंधित कोई भी बात, या किसी बीमारी, चोट या अंग शैथिल्य, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, से ग्रस्त व्यक्तियों को किसी भी रूप में परिचर्या एवं देखरेख को सम्मिलित करते हुए चिकित्सीय उपचार और देखभाल उपलब्ध कराने के कृत्य से है;

(ख) "चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था" का तात्पर्य मेडिकल कालेज, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में किसी चिकित्सालय, चाहे जिस भी नाम से पुकारा जाय, या लोगों को चिकित्सा परिचर्या सेवा उपलब्ध कराने वाली ऐसी अन्य संस्थाओं से है, जो राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी निजी चिकित्सालय/नर्सिंग होम, क्लीनिक और प्रसूति केन्द्र द्वारा स्थापित और प्रबन्धित हो या नियंत्रणाधीन हो और उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से पंजीकृत हो;

(ग) चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान के संबंध में "चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी" का तात्पर्य अनन्तिम पंजीकरण धारक को सम्मिलित करते हुए किसी पंजीकृत चिकित्सक, पंजीकृत नर्स, चिकित्सा विद्यार्थी, नर्सिंग विद्यार्थी और अर्द्ध चिकित्सीय कर्मकार से है और इसमें ऐसी संस्था में नियोजित और कार्यरत कोई व्यक्ति भी सम्मिलित है;

(घ) "हिंसा" का तात्पर्य ऐसे क्रिया कलापों से है जो चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था में या उसके बाहर कर्तव्य का निर्वहन करने वाले किसी भी चिकित्सा परिचर्या कर्मी को कोई हानि पहुँचाने, क्षति पहुँचाने या उसके जीवन को संकटापन्न करने या उसको अभित्रास, अवरोध या बाधा पहुँचाने वाले हों;

(ङ) "सम्पत्ति" का तात्पर्य किसी सम्पत्ति, स्थावर हो या जंगम, चिकित्सा उपस्कर या चिकित्सा यन्त्र सामग्री से है जो किसी चिकित्सा सेवा कर्मी या चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान के नियंत्रण में हो;

(च) "आपात चिकित्सा परिवहन सेवा" का तात्पर्य सभी सचल चिकित्सा इकाइयों एवं चिकित्सा उपस्करों से युक्त चिकित्सा वाहन से है, जिसका उपयोग चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने में किया जाय।

चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी के विरुद्ध हिंसा और सम्पत्ति की क्षति

3—कोई भी जो,—

(क) किसी चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी के विरुद्ध हिंसात्मक कृत्य करे; या

(ख) चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाए, ऐसे अपराध के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

अपराध का संज्ञान

4—धारा 3 के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय एवं गैर जमानती होगा।

सम्पत्ति को पहुँचाई गयी क्षति की वसूली

5—(1) धारा 3 के अधीन उपबन्धित दण्ड के अतिरिक्त न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय यह आदेश दिया जायेगा कि आरोपित व्यक्ति क्षतिग्रस्त चिकित्सीय उपस्कर के क्रय मूल्य की धनराशि और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था की सम्पत्ति को हुई हानि के दोगुने की शास्ति के लिए दायी होगा।

(2) यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा उपधारा (1) के अधीन शास्तिक क्षतिपूर्ति का संदाय नहीं किया जाता है, तो उसकी वसूली उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1950 की बकाया के रूप में की जायेगी।

अधिनियम का किसी भी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना

6—इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।

निरसन एवं अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6, सन् 2013

7—(1) यह उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अध्यादेश, 2013 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

448 RPH Data 2 Vid 13

उद्देश्य और कारण

राज्य सरकार के संज्ञान में यह बात लायी गयी थी कि राज्य में चिकित्सा सेवा कर्मियों के जीवन को क्षति या खतरा तथा चिकित्सा सेवा संस्थाओं की सम्पत्ति को हानि पहुँचाने वाले हिंसात्मक कृत्य हो रहे हैं, जिससे राज्य में चिकित्सा परिचर्या व्यवसायियों में असंतोष उत्पन्न हो रहा है और परिणामतः राज्य में ऐसी सेवायें गम्भीर रूप से बाधित हो रही हैं। ऐसे हिंसात्मक कृत्यों को उत्तर प्रदेश राज्य में रोकने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया कि एक कानून बनाकर यह प्रावधान किया जाय कि चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था में कार्यरत पंजीकृत चिकित्सक, जिसके अन्तर्गत अनन्तिम पंजीकरण धारक, पंजीकृत नर्स, चिकित्सा शिक्षा विद्यार्थी, नर्सिंग विद्यार्थी और अर्द्ध चिकित्सीय कर्मकार और ऐसी संस्था में नियोजित एवं कार्यरत कोई व्यक्ति भी है, के विरुद्ध हिंसात्मक कार्यवाही करना तथा चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाया जाना संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध होगा और दोषी व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा और यह कि उक्त दण्ड के अतिरिक्त, आरोपित व्यक्ति क्षतिग्रस्त चिकित्सीय उपस्कर के क्रय मूल्य की धनराशि और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान की सम्पत्ति को हुई हानि के दो गुने की शास्ति का दायी होगा।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 20 मई, 2013 को उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अध्यादेश, 2013 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6, सन् 2013) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
एस० के० पाण्डेय,
प्रमुख सचिव।

No. 1032(2)/LXXIX-V-1-13-1(Ka)10-2013

Dated Lucknow, September 26, 2013

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Chikitsa Paricharya Seva Karmi Aur Chikitsa Paricharya Sevs Sanstha (Hinsa Aur Sampatti Ki Dshati Ka Niwaran) Adhiniyam, 2013 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 16 of 2013) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 24, 2013 :–

THE UTTAR PRADESH MEDICARE SERVICE PERSONS AND MEDICARE SERVICE INSTITUTIONS (PREVENTION OF VIOLENCE AND DAMAGE TO PROPERTY) ACT, 2013

[U.P. ACT NO. 16 OF 2013]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

to prevent violence against medicare service persons and damage to property of medicare service institutions and for matters connected therewith and incidental thereto.

WHEREAS acts of violence causing injury or danger to life of Medical Service Persons and damage to property of Medicare Service Institutions are rampant in the State causing unrest in medicare professionals resulting in serious hindrance in such services in the State;

AND WHEREAS it has become necessary to prevent such violent activities in the State of Uttar Pradesh by making it as a cognizable and non-bailable offence.

IT IS HEREBY enacted in the sixty-fourth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on May 20, 2013.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires,–

(a) "Medicare Service" means the act of providing medical treatment and care including antenatal and postnatal care in connection with child birth or anything connected therewith, or nursing care in any form to persons suffering from sickness, injury or infirmities whether of body or mind;

(b) "Medicare Service Institutions" means a medical college, a hospital, a Community Health Centre, Primary Health Centre, Health Centre by whatever name called or such other institutions providing Medicare Service to the people, which is established and managed by, or under the control of, the State Government or the Central Government or any local authority or any private Hospital/Nursing Home, Clinic and Maternity Centre registered with Uttar Pradesh Medical and Health Department;

(c) "Medicare Service person" in relation to a Medicare Service Institution means a registered Medical Practitioner including provisional registration holder, a registered Nurse, a Medical Student, a Nursing Student and a Para-medical worker and includes any person employed and working in such institution;

(d) "Violence" means such activities as are causing any harm, injury or endangering the life or intimidation, obstruction or hindrance to any Medicare Service person in discharge of duty in or outside a Medicare Service Institution;

(e) "Property" means any property, movable or immovable or medical equipment or medical machinery owned by or in possession of, or under the control of any Medicare Service person or Medicare Service Institution;

(f) "Emergency Medical Transport Service" means all mobile medical units or medical ambulances equipped with medical equipment, used for providing Medicare Services.

Violence against Medicare Service person and damage to property

3. Whoever,–

(a) commits an act of violence against a Medicare Service person; or

(b) causes any damage to the property of any Medicare Service Institution;

shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to fifty thousand rupees or with both.

Cognizability of offence

4. An offence punishable under section 3 shall be cognizable and non-bailable.

Recovery of loss for damage to the property

5. (1) In addition to the punishment provided under section 3, the court shall, when passing judgment, order that the accused person shall be liable to a penalty of twice the amount of purchase price of medical equipment damaged and loss caused to the property of the Medicare Service Institution.

(2) Where the order of compensation made under sub-section (1) is not paid, the same shall be recovered under the provisions of the U.P. Land Revenue Act, 1950 from the accused person as if it were an arrear of land revenue.

Act not in derogation of any other law

6. The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.

Repeal and saving

7. (1) The Uttar Pradesh Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Ordinance, 2013 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 6 of 2013

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

It had been brought to the notice of the State Government that acts of violence causing injury or danger to the life of Medical Service persons and damage to the property of Medicare Service Institutions are rampant in the State causing unrest in medicare professionals resulting in serious hindrance on such services in the State. With a view to preventing such violent activities in the State of Uttar Pradesh it was decided to make a law to provide that the acts of violence against a registered medical practitioner working in a Medicare Service Institution including provisional registration holder, a registered Nurse, a Medical Student, a Nursing Student, a Para-medical Worker and any person employed and working in such Institution causing any damage to the property of any Medicare Service Institution shall be cognizable and non-bailable offence and the guilty person shall be liable to be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to fifty thousand rupees or with both and that the accused person shall be liable to pay a penalty of twice the amount of purchase price of medical equipment damaged and loss caused to the property of the Medicare Service Institution in addition to the said punishment.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision the Uttar Pradesh Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Ordinance, 2013 (U.P. Ordinance no. 6 of 2013) was promulgated by the Governor on May 20, 2013.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
S. K. PANDEY,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 448 राजपत्र(हि०)–2013–(959)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 79 सा०विधायी–2013–(960)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

448 RPH Data 2 Vid 13